

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि पत्र

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—5469
दिनांक 03.04.2013 की हिन्दी प्रति के प्रथम पारा में उल्लेखित बिहार उच्च न्याय
सेवा नियमावली—1051 के स्थान पर बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली—1951 पढ़ा
जाय तथा उक्त नियमावली की अंग्रेजी प्रति की कंडिका—2 (ii) को निम्न रूप में पढ़ा
जाय:—

"10 percent of the post shall be filled on the basis of merit through Limited Competitive Examination conducted by Patna High Court, Patna from amongst officers having not less than 3 years service as Civil Judge (Senior Division). Selection shall be as per the procedure and examination as specified in Appendix-'B'.

२१२८०१०/११४।।।
(राज किशोर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—7 / स्था 01—3—01 / 2010 सां 0 प्र 0 13415 / पटना—15, दिनांक 14—8—13

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना—7 को
(दो प्रतियों में) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

२१२८०१०/११४।।।
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—7 / स्था 01—3—01 / 2010 सां 0 प्र 0 13415 / पटना—15, दिनांक 14—8—13

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय,
पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग / सभी जिला एवं
सत्र न्यायाधीश / सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त
सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी—3, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /
आईटी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२१२८०१०/११४।।।
सरकार के अवर सचिव।